न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 148/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
हरिराम पुत्र मगा जाति कलबी निवासी खारवा, तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर		1– जेठा पुत्र मनरा के का0मुकाम– 1.1– कृष्ण पुत्र स्व0 जेठा 1.2– हकमा पुत्र स्व0 जेठा 1.3– थाना पुत्र स्व0 जेठा 1.4– दला पुत्र स्व0 जेठा 1.5– मरेमा पत्नी स्व0 जेठा जातियान मेघवाल निवासीगण सोढो की ढाणी, रतनपुरा, तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर 1.6– अणची पुत्री स्व0 जेठा पत्नी बाबुराम जाति मेघवाल निवासी मांगता, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर 2– आदु उर्फ आदुडा पुत्र मनरा के का0मुकाम– 2.1– डामरा पुत्र स्व0 आदु 2.2– छगना पुत्र स्व0 आदु 2.3– दाडी पुत्र स्व0 आदु 2.4– प्यारी पुत्री स्व0 आदु 2.5– नैनी पत्नी स्व0 आदु 3 – लूणा पुत्र रायमल 4– श्रवण पुत्र रायमल 5– सुवटी पत्नी रायमल 6– भंवरा पुत्र भूरा 7– बगदा पुत्र घमण्डा 8– गजा पुत्र मेहरा 9– पांचु पत्नी मेहरा जातियान मेघवाल, निवासीगण सोढो की ढाणी, रतनपुरा, तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर **प्रफोर्मा पक्षकारान** 10– हीरा पुत्र नगा 11– कनकादेवी पत्नी भगा 12– हाजा पुत्र मदरूपा 13– लाला पुत्र मदरूपा 14– ईशरा पुत्र मदरूपा 15– गणेशा पुत्र मदरूपा 16– वीरमा पुत्र मेहरा 17– सांवला पुत्र मेहरा 18– रामा पुत्र मेहरा जातियान कलबी निवासीगण रतनपुरा तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर 19– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 306/2013 अनवान जेठा वगैरा बनाम हीरा वगैरा मे दिनांक 9–7–2015 को राजस्व लोक अदालत मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री तेजाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री लाधूराम पूनिया रेस्पो0 संख्या 1 से 9 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 19 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 23–7–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 गण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि उनके खातेदारी की भूमि मौजा हाजाणियो की ढाणी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के खसरा नंबर 467 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम एवं मौजा सोढो की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा के खसरा नंबर 497 रकबा 35.10 बीघा, खसरा नंबर 509 रकबा 30.08 बीघा भूमि के सेढा–सेढ विप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) की भूमिआई हुई है तथा दोनो खेतो के बीच पक्की माठें और सीमा चिन्ह नही होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्राथीगण के बीच मे काश्त एवं अन्य प्राकृतिक पैदावार संबंधी खेतो की सेढो को लेकर तनाजा एवं विवाद बना रहता है इसलिए उपरोक्त खातेदारी की भूमि की पक्की नेखमबंदी पुलिस ईमदाद के साथ करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–7–2015 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि का सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को कमिश्नर नियुक्त करते हुए आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन करते हुए अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि प्रथम आदेशिका दिनांक 16–8–2013 मे अप्रार्थीगण के नोटिस जारी होने का उल्लेख है उसके बाद दिनांक 19–9–2013 से 25–3–14 तक सीलनुमा आदेशिकाओ से पेशियां इल्तवा होती रही तथा आदेशिका दिनांक 2–6–14 मे नोटिस तामिल अथवा अदम तामिल नही लोटने का उल्लेख है । उसके पश्चात की सीलनुमा आदेशिकाओ से दिनांक 22–4–15 तक पत्रावली चलती रही तथा सीधे, दिनांक 9–7–15 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट खारवा मे रखते हुए अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि लोक अदालत मे केवल राजीनामे योग्य प्रकरणो को ही पक्षकारो की सहमति से रखकर उनको सुनकर निर्णित किया जा सकता है परंतु वर्तमान मामले मे तो अप्रार्थीगण को सुने बिना ही एकतरफा अपीलाधीन निर्णय

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पारित किया गया है तो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे मुझे पक्षकार अवश्य बनाया परंतु मेरे लोक अदालत केम्प खारवा के नोटिस सरपंच खारवा द्वारा प्राप्त किये गये मेरे से तामिल ही नही कराये तथा इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को पढकर सुनाया जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि हमने प्रार्थीगण को सुना इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मुझे सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी मौखिक बहस मे यह भी कथन किया कि रेस्पो0गण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र मे सही तथ्यो को छुपाते हुए पेश किया गया था । अपीलांट अधिवक्ता ने इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के सलंग्नको का पेज संख्या 18 की ओर ध्यान दिलाया जिसमे वर्तमान रेस्पा0गण की ओर से वर्तमान अपीलांटगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था उक्त दावा अदम पैरवी मे खारीज हो चुका था । इसी क्रम मे अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के पेज नंबर 25 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसमे वर्तमान अपीलांटगण की ओर से रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद संख्या 253/06 अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था जिसमे मेरे पक्ष मे डिक्री जारी हुई होना बताया जो पेज नंबर 27 पर है । उक्त तमाम तथ्यो को छुपाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे मुझे पक्षकार बनाया परंतु सुनवाई का अवसर नही दिया गया, मुझे अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब पेश करने का अवसर ही प्रदान नही किया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट ही मंगवाई इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया कि राज्य सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 7–8–2002 मे स्पष्ट निर्देश दिये हुए है कि वर्षाकाल एवं खडी फसल के दौरान पत्थरगढी आदि कार्य नही किये जाये जबकि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्थरगढी करने हेतु दिनांक 9–7–2021 को एक टीम का गठन कर अपीलाधीन भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट चाही है तब अपीलांट को उक्त अपील की शीघ्र सुनवाइ करवाने की आवश्यकता हुई । वकील अपीलांट ने तहसीलदार को राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के क्रम मे खडी फसल एवं वर्षाकाल के दौरान पैमाईश एवं नेखमबंदी नही करने हेतु पाबंद करने का भी निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–7–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया विकल्प मे प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने हेतु रिमाण्ड करने का भी निवेदन किया ।

क्षेत्रीय आयुक्त

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलांट की उक्त अपील असाधारण विलंब से पेश की है जो मयाद बाहर होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारीज योग्य है ।

रेस्पो0 अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय से जारी राजस्व लोक अदालत शिविर केम्प खारवा दिनांक 9–7–15 के नोटिसेज की ओर ध्यान दिलाया तथा कथन किया कि अपीलांट हरिराम के नोटिस तथा उसके भाई हीराराम एवं माता मनकादेवी के नोटिस अपीलांट के भाई हीराराम जो स्वयं खारवां का सरपंच है, द्वारा लिये गये है इसलिए भाई से तामिल होने के बावजुद कोई भी पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट उपस्थित नही होने पर अपीलाधीन निर्णय बावजुद तामिल अनुपस्थिति दर्शाते हुए तथा केम्प मे मजमे आम सुनवाई करने के बाद जो निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है इसलिए अपीलांट का यह कथन सरासर गलत है कि उसे नोटिस तामिल नही कराया गया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील के साथ अपीलांट ने जो दस्तावेजात पेश किये है तथा अपनी बहस के दौरान उनका संदर्भ देते हुए जो बहस की है, इस संबंध मे रेस्पो0 अधिवक्ता ने आपत्ति प्रकट करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अतिरिक्त अपीलेट कोर्ट मे कोई नये दस्तावेज फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत नही किये जा सकते है इसलिए इन दस्तावेजो को रेकर्ड पर नही लिया जा सकता है तथा इस अपील मे पढा नही जा सकता है । रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि यदि अपीलांट अधिवक्ता को इस अपीलेट कोर्ट मे अतिरिक्त कोई दस्तावेज पेश करने भी थे तो उन्हे विधिवत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश करने चाहिये थे तथा उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति रेस्पो0 अधिवक्ता को दी जाने के बाद उक्त प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद ही अतिरिक्त दस्तावेज रेकर्ड पर लिये जा सकते है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रिबीटल मे तामिली के संबंध मे सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 15 को पढकर सुनाया तथा कथन किया कि उक्त प्रावधान के तहत केवल स्त्री, एवं परिवार का वयस्क सदस्य पुत्र या पुत्री, जो साथ मे निवास करते हो, की तामिल को पर्याप्त माना है जबकि मेरे नोटिस भाई ने लिया है जो तामिल पर्याप्त नही माना जा सकता है इसलिए मै राजस्व लोक अदालत केम्प खारवा मे प्रकरण की सुनवाई की जानकारी नही होने से मुझे सुनवाई का अवसर नही मिला इसलिए मेरे द्वारा इस अपीलीय न्यायालय मे अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो को रेकर्ड पर लिया जाकर निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात नोटिसेज, इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, अपीलाधीन निर्णय आदि का अध्ययन किया तथा तामिली के संबंध मे सीपीसी के प्रावधानो का तथा वर्तमान अपील के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । प्रस्तुत अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे सुनवाई का अवसर नही दिया

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गया । जिसके संबंध मे अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे वर्तमान अपीलांटगण को पक्षकार बनाया गया है तथा प्रथम आदेशिका अनुसार अप्रार्थीगण के नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया हुआ है तथा आदेशिका दिनांक 2–6–2014 तक नोटिस तामिल अथवा अदम तामिल नही लोटने का उल्लेख है । उसके पश्चात की दिनांक 30–3–15 की आदेशिका मे भी तामिली के बारे मे कोई उल्लेख नही है तथा पत्रावली दिनांक 9–7–15 को सीधे राजस्व लोक अदालत शिविर केम्प खारवा मे रखते हुए अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्शाते हुए निर्णय पारित किया जाना प्रकट है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे राजस्व लोक अदालत शिविर कोर्ट केम्प खारवा के जारी नोटिस जो उपलब्ध है जिसमे वर्तमान अपीलांट का नोटिस स्वयं से तामिल नही होकर सरपंच ग्राम पंचयत खारवा से तामिल होना पाया जाता है जो सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 15 के प्रावधान अनुसार प्रोपर नोटिस तामिल नही मानी जा सकती है अथार्त अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही केम्प मे मात्र प्रार्थीगणो को सुनकर एकतरफा निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–7–2015 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित अपीलाधीन भूमि के सभी पडौसी खातेदारान एवं अपीलांट को सूचित कर अपीलाधीन भूमि की विधिवत पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त कर नेखमबंदी बाबत नये सिरे से आदेश पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 23–7–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर